

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विहित प्राधिकारी आरंग जिला रायपुर छ0ग0
 अनावेदक को सिविल कारागार में सुपुर्द करने का वारंट (संस्थान आदेश)
 (छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा की उपधारा(2) के अंतर्गत)

क्रमांक	अनावेदक का नाम	ग्राम का नाम	वसूली राशि
01	श्रीमती राजकुमारी साहू पूर्व सरपंच	नगापुरा	4.09 लाख रुपये
02	श्री गोपाल चतुर्वेदी पूर्व सरपंच	नकटा	18,23,880.00 रुपये
03	श्री रोशन मिश्रा पूर्व सरपंच	देवदा	1884773.00 रुपये
04	श्री रोशन मिश्रा पूर्व सरपंच	देवदा	50,300.00 रुपये
05	श्री श्रीमती चितरेखा साहू पूर्व सरपंच	राखी	209324.00 रुपये